

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (34)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS- IV / 65

Dated: 28/8/20

Notification No. 02/2020 – State Tax (Rate)

No. F.3 (34)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381 dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

(a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	-”

(b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

No. F.3 (34)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS- IV 165

Dated: 28/8/20

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.



(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: - The principal notification No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381 dated the 30th June, 2017, and was last amended by notification No. 26/2019 - State Tax (Rate), dated the 11th March, 2020 vide No. F.3(102)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/121, dated the 11th March, 2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 03(34)/वित्त (राज0-I)/2020-21/डी.एस.-IV 165

दिनांक: 28/8/20

अधिसूचना संख्या 02/2020-राज्य कर (दर)

सं.फा. 3(34)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/ : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा कारण जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या - 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त(राजस्व- I)/2017-18/डीएस- VI/381 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात्, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
“(क) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कलपुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	-”

(ii) मद(ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक “और (ii क)” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सुनील सहगल)
उप सचिव-IV (वित्त)

सं0फा0 03(34)/वित्त (राज0- I)/2020-21/डी.एस.- IV 165

दिनांक: 28/8/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।



(सुनील सहगल)
उप सचिव- IV (वित्त)

नोट: - प्रधान अधिसूचना सं0 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 3(15)/वित्त(राजस्व- I)/2017-18/डीएस- VI/381 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2019 - राज्य कर (दर), दिनांक 11 मार्च, 2020, सं0फा0 03(102)/ वित्त(राजस्व- I)/2019-20/डीएस- VI/121, दिनांक 11 मार्च, 2020 के द्वारा संशोधन किया गया है।